

अपीलांतस

बनाम

रेस्पोडेंटस

01. श्री खेताराम पुत्र श्री देवाराम जाति जाट निवासी सवाउ पदमसिंह तहसील बायतु जिला बाडमेर हाल निवासी हरियासर राजमथाई तहसील भणियाणा, जिला जैसलमेर

01. श्रीमती चन्द्रकंवर बेवा स्व० श्री सवाईसिंह जाति राजपुत निवासी लखासर तहसील पोकरण जिला जैसलमेर
02. श्रीमती अमृत कंवर पत्नी श्री रूपसिंह जाति राजपुत निवासी तेजमालता तहसील फतेहगढ जिला जैसलमेर ।
03. श्रीमती अगर कंवर पत्नी श्री प्रयागसिंह जाति राजपुत निवासी उण्डू तहसील शिव जिला बाडमेर ।
04. श्री भंवरसिंह पुत्र श्री मंगलसिंह जाति राजपुत
05. श्री भीमसिंह पुत्र श्री मंगलसिंह जाति राजपुत
06. श्री महासिंह पुत्र श्री मंगलसिंह जाति राजपुत निवासीयान हरियासर राजमथाई तहसील भणियाणा जिला जैसलमेर
07. नायब तहसीलदार फलसूण्ड तहसील भणियाणा

उपरिस्थिति :

1. श्री ए.आर. मेहर वकील अपीलान्त
2. श्री हरिसिंह भाटी, वकील रेस्पोडेंट सं. 1 से 3
3. श्री किसनसिंह भाटी रेस्पोडेंट सं. 4 से 6
4. पैरोकार राज वास्ते रेस्पोडेंट सं. 7

निर्णय

दिनांक : 25.08.2015

1. वकील अपीलान्त ने यह अपील धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत रेस्पोडेंट संख्या 1, 2, 3 की म्युटेशन अपील के तहत न्यायालय तहसीलदार भणियाणा के निर्णय दिनांक 09.01.2014 के आधार पर ग्राम हरियासर के खसरा नम्बर 2612/1472 रकबा 56.19 बीघा का नामान्तकरण बाद जाँच म्युटेशन संख्या 889 नायब तहसीलदार फलसूण्ड द्वारा दिनांक 06.02.2014 को स्वीकृत किया गया। जिस म्युटेशन की जाँच व स्वीकृति से पूर्व राजस्व रिकार्ड में दर्ज खातेदार (अपीलांत) के हिस्से के साथ रेस्पोडेंटगण का नाम दर्ज करने का आदेश व स्वीकृति देकर नामान्तकरण स्वीकृत किया गया, जिससे उक्त खसरा में दर्ज खातेदार (अपीलांत) की भूमि में कमी कर रेस्पोडेंटगण को खातेदार दर्ज किया, जो अपास्त योग्य है। अपील निर्धारित समयवधि से विलम्ब से प्रस्तुत करने के संबंध में अपीलान्त द्वारा लिमिटेशन एक्ट की धारा 5 के तहत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र के प्रस्तुत किया गया, जिसके फलस्वरूप अपील न्यायालय में सब्जेक्ट टू लिमिटेशन के दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंटस को सम्मन जारी किये गये। अपीलाधीन आदेश से संबंधित मूल म्युटेशन एवं अन्य रेकॉर्ड तलब किया गया। पक्षकारों की बहस दिनांक 07.07.2015 को सुनी गई।
2. अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि ग्राम राजमथाई के नवसृजित ग्राम हरियासर के खसरा नम्बर 2612/1472 रकबा 56.19 बीघा का नामान्तकरण बाद जाँच म्युटेशन संख्या 889 नायब तहसीलदार फलसूण्ड द्वारा दिनांक 06.02.2014 को स्वीकृत किया गया। जिस म्युटेशन की जाँच व स्वीकृति से पूर्व राजस्व रिकार्ड में दर्ज खातेदार (अपीलांत) के हिस्से के साथ रेस्पोडेंटगण का नाम दर्ज करने का आदेश व स्वीकृति देकर नामान्तकरण स्वीकृत किया गया, जिससे उक्त खसरा में दर्ज खातेदार (अपीलांत) की भूमि में कमी कर रेस्पोडेंटगण को खातेदार दर्ज किया। अपीलान्त ने न्यायालय तहसीलदार भणियाणा के उक्त आदेश के विरुद्ध अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि उक्त निर्णय की



भूमि में खसरा नम्बर 2612/1472 रकबा 56.19 बीघा भूमि का बेचान खातेदार द्वारा दिनांक 25.01.2002 को अपीलान्त को कर दिया। इस प्रकार अपीलान्त का वास्तविक व भौतिक कब्जा सपरिवार रहवास रहा है राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज बतौर खातेदार रहा है, ऐसे में वास्तविक पक्षकार, काबिज पक्षकार, रिकार्ड्ड खातेदार को सुने बिना, सुनवाई का अवसर दिये बिना प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तों के प्रतिकूल अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय पारित किया है जो निर्णय अपास्त योग्य है।

3. यह है कि खातेदार भंवरसिंह, भीमसिंह व महासिंह द्वारा अपने हिस्से की भूमि अपीलान्त को बेची गयी। मंगलसिंह वगैरह के खाते की कुल भूमि भंवरसिंह, भीमसिंह व महासिंह के नाम कुल रकबा 776.35 बीघा भूमि उनके खाते में आई, जिसमें प्रत्येक के हिस्से में 258.78 बीघा भूमि उनके खाते व हिस्से में आई। यदि बहनों का हिस्सा भी मान लिया जावे तो 776.35 में 1/6 हिस्सा करने पर प्रत्येक हिस्से व खाते में 129.39 बीघा भूमि आती है। इस प्रकार भंवर सिंह ने अलग - अलग अपीलान्त की कुल बेची गयी भूमि बेचने के बाद भी भंवर सिंह के खाते व हिस्से में 68.05 बीघा भूमि, भीमसिंह के 68.55 बीघा व महासिंह के खाते व हिस्से में 8.07 बीघा भूमि खुद के खाते व हिस्से में शेष रहती है। इस प्रकार अपीलान्त को रेस्पोंडेंट महासिंह, भीम सिंह, भंवर सिंह द्वारा भूमि बेचने के बाद भी 1/6 हिस्सा की गणना से उसके स्वयं के खाता व हिस्से में 8.07 बीघा, 68.55 बीघा व 68.05 बीघा भूमि आज ही उसके नाम दर्ज रहती हैं, जिससे बहनों का हिस्सा सम्पूर्ण खाते में 1/6, 1/6, 1/6 तीनों को देने से अपीलान्त का हक हिस्सा प्रभावित नहीं होता है, अपीलान्त को रेस्पोंडेंट द्वारा बेचान करने के बाद भी बहनों को 1/6 हिस्सा निकालने के बाद भी रेस्पोंडेंट के खाते व हिस्से में भूमि रहती है, नायब तहसीलदार द्वारा सम्पूर्ण खाते की भूमि का 1/6 हिस्सा निर्धारण किये बिना, विवादित बेचानसुदा भूमि में प्रत्येक खसरे में हिस्सा बहनों का (रेस्पोंडेंटगण) का मानकर बेचानसुदा भूमि में हिस्सा कर, सह खातेदार बहनों को दर्ज किया जो भूमि अपीलान्त के कब्जा, काश्त, उपयोग, उपभोग की भूमि खरीदसुदा भूमि होने से विवादित भूमि बनाने के लिय सह खातेदार दर्ज किया है। बिना बेचानसुदा, बिना विवाद की भूमि बहनों के हक हिस्से तक होते हुए भी जानबूझकर अपीलान्त की खरीदसुदा में बहनों का नाम दर्ज किया है जो विधि प्रावधानों के प्रतिकूल होने से खारिज योग्य है।
4. इस संबंध में रेस्पोंडेंटस संख्या 1 से 3 के द्वारा इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार के संबंध में कानूनी आपत्ति का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि इस न्यायालय में प्रस्तुत प्रथम अपील जो तहसीलदार भणियाणा के आदेश के विरुद्ध की गई है, उक्त अपील को सुनने का अधिकार क्षेत्र इस न्यायालय को नहीं होकर संभागीय आयुक्त व अतिरिक्त संभागीय आयुक्त को है, इस कारण अपीलान्त की अपील बिना क्षेत्राधिकार की होने से खारिज की जावे। रेस्पोंडेंटस संख्या 4 से 6 के द्वारा भी इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार के संबंध में भी इस न्यायालय में प्रस्तुत प्रथम अपील जो तहसीलदार भणियाणा के आदेश के विरुद्ध की गई है, उक्त अपील को सुनने का अधिकार क्षेत्र इस न्यायालय को नहीं होकर संभागीय आयुक्त व अतिरिक्त संभागीय आयुक्त को है, इस कारण अपीलान्त की अपील बिना क्षेत्राधिकार की होने से खारिज की जावे।
5. अपील में वकील रेस्पोंडेंट के द्वारा प्रस्तुत सुनवाई के संबंध में इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार के संबंध में प्रस्तुत कानूनी आपत्ति के संबंध में पक्षकारों की बहस सुनी गई एवं कानूनी बिन्दुओं एवं न्यायालय में पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों का अध्ययन किया गया। वकील अपीलान्त के द्वारा निवेदन किया गया कि इस मामले में तहसीलदार भणियाणा के द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के तहत प्रथम अपील सुनवाई का क्षेत्राधिकार माननीय न्यायालय का है, अतः वकील रेस्पोंडेंटस संख्या 1 से 6 के द्वारा इस संबंध में न्यायालय में न्यायिक दृष्टान्त दुर्गाशंकर बनाम कैलासी बाई आरआरडी 1997 पृष्ठ 197, विमल कुमार बनाम महावीर प्रसाद व अन्य आरआरडी 2010 पृष्ठ 614 एवं अन्य न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि उक्त दृष्टान्त इस मामले में पूर्णतया लागू होते हैं, अतः अपील अपीलान्तस खारिज की जावे।
6. प्रस्तुत अपील में स्वीकृत तथ्य इस प्रकार से है कि रेस्पोंडेंटस संख्या 1 से 6 के पिता मंगल सिंह एवं उनके चाचा सगत सिंह के वारिस (उत्तराधिकारी) होने से उनके विरासत का नामान्तकरण ग्राम पंचायत द्वारा रेस्पोंडेंट संख्या 1 से 3 के पक्ष में तस्दीक किया गया। इसके विरुद्ध अपील रेस्पोंडेंट संख्या 4 से 6 के द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पोकरण में प्रस्तुत की गई, जिसे न्यायालय के द्वारा म्याद के बिन्दु पर खारिज किया गया। उक्त निर्णय के विरुद्ध द्वितीय अपील अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जोधपुर के न्यायालय में प्रस्तुत की गई, जिसमें अपील न्यायालय के द्वारा निर्णय दिनांक 14.06.2012 के द्वारा नामान्तकरण संख्या 122 विधि सम्मत नहीं होने से एवं न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पोकरण के निर्णय दिनांक 29.11.2011 को म्याद के बिन्दु पर अपील खारिज करने के निर्णय को विधि विरुद्ध होने से निरस्त किया जाकर मामला न्यायालय तहसीलदार को मृतक खातेदार मंगल सिंह के विधि वारिसान की जांच कर दोनों पक्षों की सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर पुनः नये सिरे में नामान्तकरण निस्तारण की कार्यवाही करने के निर्देश के साथ प्रकरण प्रतिप्रेषित (रिमाण्ड)



किया गया। इसके अतिरिक्त अपीलान्त के द्वारा भी नामान्तरण संख्या 122 के संबंध में इस आधार पर अपील प्रस्तुत की गई है कि खसरा नम्बर 2612 /1472 रकबा 56.19 बीघा भूमि का बेचान खातेदार द्वारा दिनांक 25.01.2002 को अपीलांत को कर दिया। भूमि में भी रेस्पोंडेंटस संख्या 1 से 6 के नाम इन्द्राज कर लिया गया, जो विधि-विधान, न्याय सिद्धान्तों के प्रतिकूल होने से अपास्त योग्य है। इस प्रकार प्रकरण में पक्षकारों ने विवादित भूमि के संबंध में स्वीकृत किये गये विरासत के नामान्तरण को चुनौती दी है। इससे स्पष्ट है कि यह नामान्तरण विवादित है एवं ऐसे विवादित नामान्तरण का निस्तारण करने का क्षेत्राधिकार धारा 135 (2) राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत तहसीलदार को है।

7. वर्तमान प्रकरण में विवादित नामान्तरण तहसीलदार द्वारा तस्दीक किया गया है। ऐसे आदेश के विरुद्ध अपील सुनने का क्षेत्राधिकार 75 (1) (एफ) राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत निदेशक भू अभिलेख को है। निदेशक भू अभिलेख की शक्तियाँ संभागीय आयुक्त / अतिरिक्त संभागीय आयुक्त को प्रदत्त की हुई हैं। इस मामले में वकील रेस्पोंडेंटस के द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त भी इस मामले में पूरी तरह चस्पा होते हैं। ऐसी स्थिति में तहसीलदार भणियाणा के अपीलाधीन आदेश दिनांक 09.01.2014 के विरुद्ध अपील सुनने का क्षेत्राधिकार संभागीय आयुक्त / अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जोधपुर (संभागीय आयुक्त द्वारा निर्धारित क्षेत्राधिकार) को है। अतः इस मामले में वकील रेस्पोंडेंट संख्या 1 से 6 के द्वारा इस न्यायालय के सुनवाई के क्षेत्राधिकार के संबंध में प्रस्तुत की गई कानूनी आपत्ति का प्रार्थना पत्र स्वीकार करने योग्य है।
8. उपरोक्त विवेचन के अनुसार वकील रेस्पोंडेंट संख्या 1 से 6 के द्वारा प्रस्तुत की गई कानूनी आपत्ति का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है एवं उक्त अपील सुनने का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय का नहीं होने से अपीलान्त के द्वारा प्रस्तुत अपील उसे सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करने के लिए लौटाई जाने का आदेश पारित किया जाता है। पक्षकार अपना - अपना व्यय स्वयं वहन करें।



Sharma
(विश्व मोहन शर्मा)
जोधपुर जिला न्यायालय
जोधपुर

निर्णय आज दिनांक 25.08.2015 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



Sharma
जोधपुर जिला न्यायालय
जोधपुर